कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली

UTTARAKHAND
eepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक– 1950 /8सी दिनांक– 30/11/2020

सेवामें,
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

विषय– जनपद नैनीताल में मुख्य मंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत नदगल गॉव को जोडने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पंत्राक 216/FP/UK/ROAD/19460/2016 दिनांक 22.07.2021। व इस कार्यालय का पंत्राक 876/8सी दिनांक 11.06.2021 तथा पंत्राक–1026/8बी0 दिनांक 6.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके क्रम में नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त विषयगत मार्ग पर विन्दुवार सूचना निम्नानुसार है।
1–भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 28.12.2020 के विन्दु सं0 1 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर परिपूर्ण आख्या प्रेषित की जानी है।(आख्या संलग्न)
2–विन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध मे सूचना इस कार्यालय के पंत्राक 876/8सी दिनांक 11.06.2021 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है।
3–विन्दु संख्या 03 की सूचनाये प्रतिपूरक वनीकरण की योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराये जाने के उपरान्त आपको आपको प्रेषित किये जा चुके है।
4 विन्दु संख्या 04 में ग्राम नदगल की village level committee से सम्बन्धित सूचना की इस कार्यालय के पंत्राक 876/8सी दिनांक 11.06.2021 द्वारा आपको प्रेषित करा दी गयी है।
विन्दु सख्या 4 पर चाही गयी सूचना पुनः आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के संन्दर्भित पंत्र द्वारा प्रेषित सूचना को अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न– village level committee की मूल प्रति।

30/11

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

पंत्राक– /8सी दिनांक– /11/2020

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ कि उक्त विन्दुओं का निराकरण खण्ड स्तर पर संदर्भित पत्र से करते हुए पुनः उपरोक्तानुसार आख्या प्रेषित की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

C:\Users\pc\Desktop\dahara.docx

Scanned with CamScanner

संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट

कार्य का नाम – जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नदगल गॉव को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 25.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के पंत्राक 7889/13-2(1) दिनांक 18.06.2021 के कम मे जनपद नैनीताल नदगल गॉव को जोडने हेतु मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–काण्डा तहसील–बेतालघाट जिला–नैनीताल में चयनित सिविल सोयम भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग की ओर से श्री प्रकाश गोस्वामी वन दरोगा कोसी रेंज तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री प्रमोद कुमार अमीन मौजूद रहे। उक्त भूमि का हरियाली धनत्व 0.3 है जिस पर कूरी व काला बॉज की झाडिया उगी है। यह भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है इस पर 1100 पेड प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाईखण्डलो0नि0वि0
भवाली

वनदरोगा

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
कोसीरेंज क्षेत्र,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Scanned with CamScanner

मार्ग का नाम–मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड धारी में नदगल गॉव को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम काण्डा)

अमीन
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि
भवाली

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

Scanned with CamScanner

वि-दुर्ग०-07

Form – 1

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector: Nainital

अनिवार्य संलग्नक 116

No ---- 011/Rwd.

Date ---- 7/5/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.33 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Ty. Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District falls within Jurisdiction of Nadgal Village in Dhari Tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee(s) gram sabha(s) sub division level committee(s) and district level committee are enclosed as annexure 1 to ………..annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District collector)

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल।

जिलाधिकारी
नैनीताल।

Scanned with CamScanner

1-6

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Deepak Rawat I.A.S.** Deputy Commissioner. Nainital on date 7/5/2016 at time 2.00 P.M. at Nainital in Which application claiming rights of national area measuring **1.33 hect.** for . **Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District Uttarakhand.** Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhimtal sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Deputy Commissioner-cum-Chairmen
District Level Committee.
जिलाधिकारी
नैनीताल.

Dated:

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations ad meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to ………annexure.	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल.

नैनीताल.

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति [illegible]

उपखण्ड [illegible] परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत [illegible] [illegible] हे0 आरक्षित वन भूमि 1.33 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि.........हे0 अर्थात कुल 1.33 हे0 वन भूमि) का [illegible] प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील [illegible]) की दिनांक [illegible] को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible] उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible] अध्यक्ष
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ... सदस्य/सचिव
4. श्री [illegible] बी.डी.सी क्षेत्र [illegible] सदस्य

ज्येष्ठ प्रमुख
ब्लाक धारी
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत.. 1.33 हे0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्र्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत..
....

क्रमशः 2पर

Scanned with CamScanner

1.6

परियोजना के निर्माण हेतु 1.336 हे0 वनभूमि आरक्षित रा0 लो0नि0 विभाग अस्थायी प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

ह0 11/12/2019

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील– धारी
जनपद– नैनीताल

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील– धारी
जनपद– नैनीताल।

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम .-

प्रपत्र–23

116

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – महतोलियागांव राजामगौज - नदगौ -
तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत .... निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.33 है0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि..........है0, वन पंचायत भूमि —....है0) अर्थात कुल 1.33 ....है0 वन भूमि का ....विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....द्वारा दिनांक 11.11.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम महतोलियागांव ....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.33 है0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(महतोलियागांव)

है0 /
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत (महतोलियागांव)

है0 /
प्रधान,
ग्राम पंचायत महतोलिया गांव
विकासखण्ड, धारी (नैनीताल)
ग्राम प्रधान

नोट– यदि किसी (अनुसूचित) आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11.12.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत .... महतोलियागांव . रामगढ़ . नैनीताल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नन्दकिशोर	नन्दकिशोर
2.	राजेन्द्र जोशी	राजेन्द्र जोशी
3	जगदीश चन्द्र जोशी	जगदीश चन्द्र जोशी
4.	वेद प्रकाश	वेद प्रकाश
5	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
6.	केशवदत्त जोशी	केशवदत्त जोशी
7.	मदन जोशी / दिनेश जोशी	[illegible]
8		[illegible]
9	[illegible] दत्त	[illegible] दत्त
10.	वेद प्रकाश	वेद प्रकाश
11		
12	जोगेश चन्द्र	जोगेश
13	नरेश चन्द्र	नरेश चन्द्र
14	हेम चन्द्र	हेम चन्द्र जोशी
15	तारादत्त	तारादत्त
	केशवचन्द्र	केशवचन्द्र
	मनोज जोशी	मनोज
	प्रकाश जोशी	प्रकाश
	दिनेश हीराबल्लभ जोशी	दिनेश
	उमादत्त	उमादत्त
	देवेन्द्र जोशी	देवेन्द्र जोशी
	राजेश जोशी	राजेश
	भरत चन्द्र	भरत
	दीपचन्द्र जोशी	दीपचन्द्र
	हरीश चन्द्र जोशी	
	मुन्नी देवी	

प्रधान,
ग्राम पंचायत महतोलिया गांव
विकास खण्ड, धा.रा. (नैनीताल)

ग्राम पंचायत अधिकारी
जिला पंचायत (उत्तराखण्ड)

महतोलियागांव

Scanned with CamScanner

(नगदल) जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम–काण्डा।

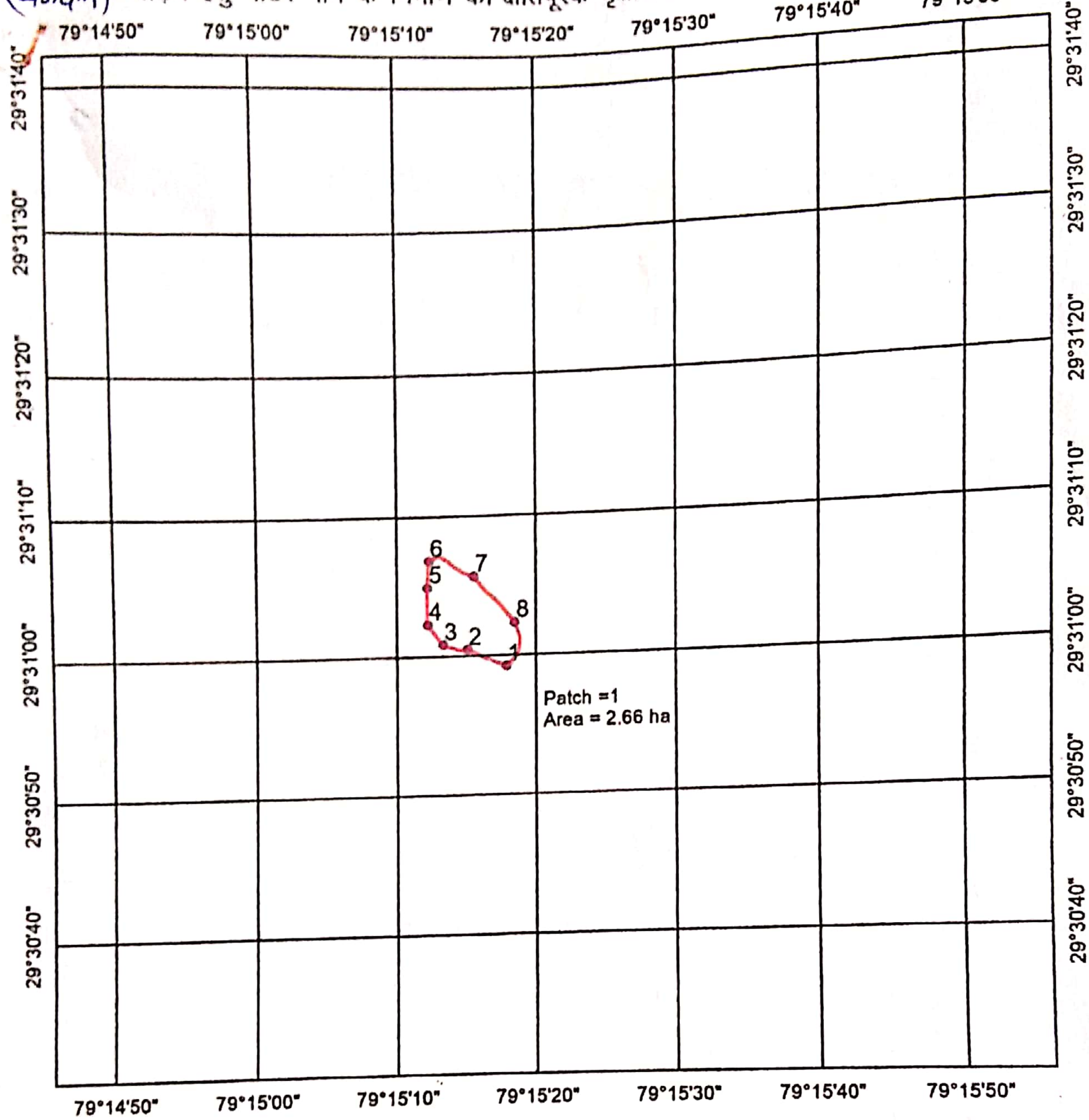

Legend

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 km

GPS_Points

Proposed_Land

ID	Longitude	Latitude
1	79°15'17.88"E	29°30'59.22"N
2	79°15'15.12"E	29°31'0.46"N
3	79°15'13.37"E	29°31'0.83"N
4	79°15'12.25"E	29°31'2.29"N
5	79°15'12.23"E	29°31'4.90"N
6	79°15'12.36"E	29°31'6.80"N
7	79°15'15.58"E	29°31'5.65"N
8	79°15'18.51"E	29°31'2.32"N

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
भवाली (नैनीताल)

व० द० पहाड़पानी

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Scanned with CamScanner

अनिवार्य संलग्नक – 1.4

डिजिटल मैप :– जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजकता के अन्तर्गत नदगल गांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई – 2.50 किमी0)

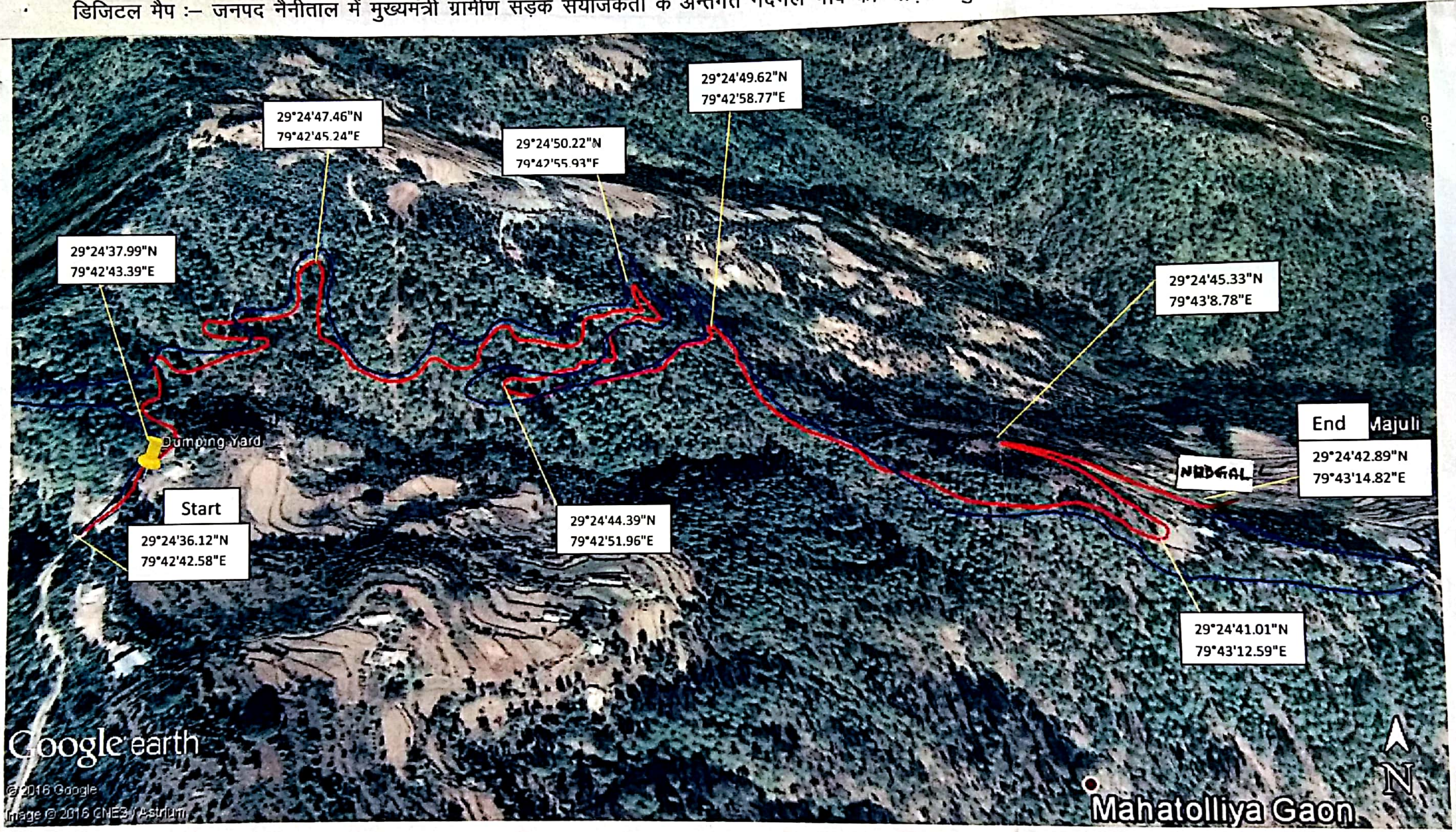

Legend
- Dumping Yard
- Proposed Road
- Alternate Alignment

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी
ओखलकाण्डा वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

(नगदल) जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम–काण्डा।

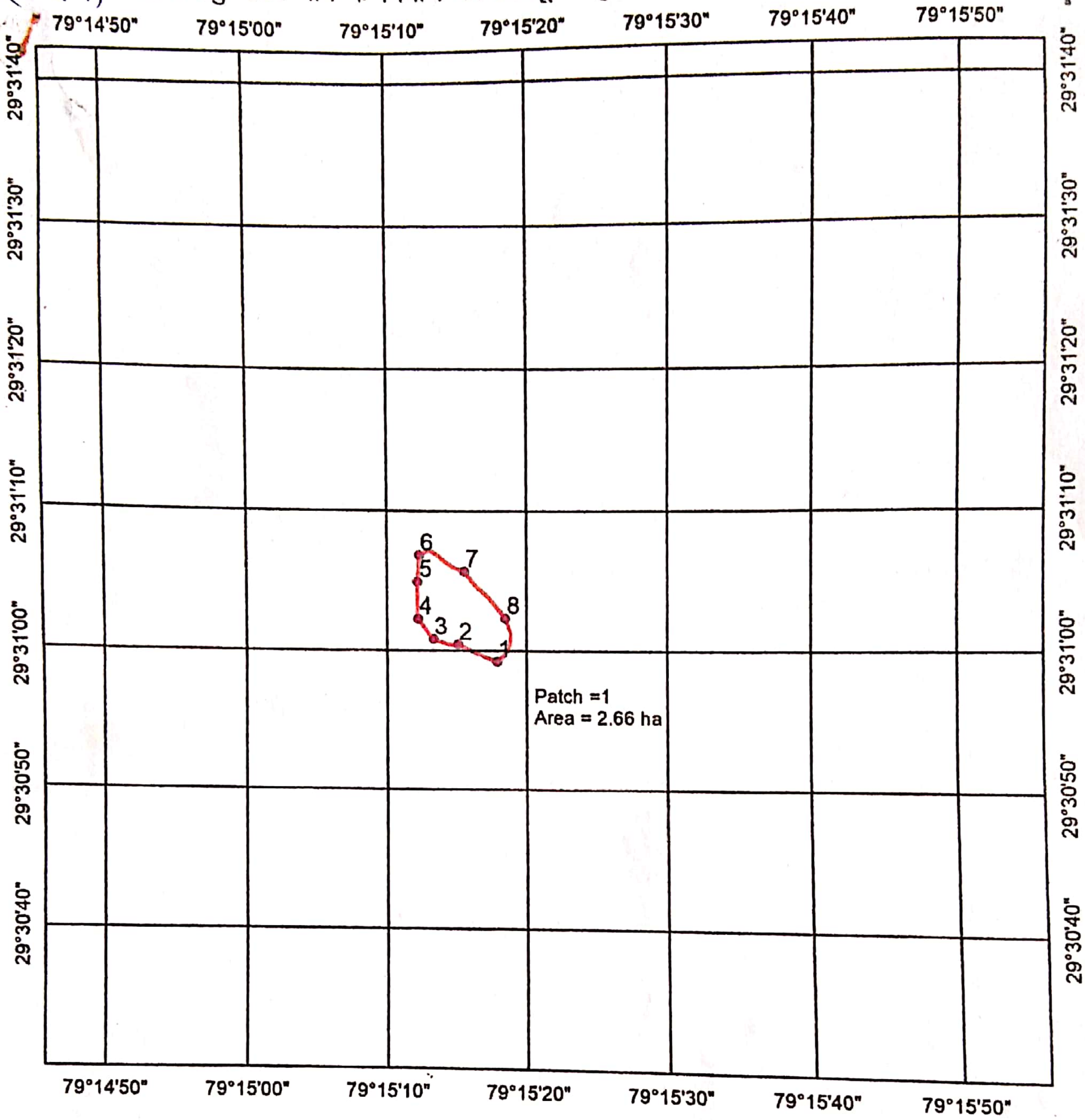

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला ... क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

जी० डी० पहाड़पानी

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

ID	Longitude	Latitude
1	79°15'17.88"E	29°30'59.22"N
2	79°15'15.12"E	29°31'0.46"N
3	79°15'13.37"E	29°31'0.83"N
4	79°15'12.25"E	29°31'2.29"N
5	79°15'12.23"E	29°31'4.90"N
6	79°15'12.36"E	29°31'6.80"N
7	79°15'15.58"E	29°31'5.65"N
8	79°15'18.51"E	29°31'2.32"N

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

पंत्राक– 876 /8सी दिनांक– 11 /6/2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी
वन संरक्षक इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून

विषय– जिला नैनीताल मे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नगदन गॉव को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन।(प्रस्ताव स0FU/UK/ROAD/19460/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/166/2020/एफ0सी0/2048 दिनांक 28.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके कम में भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा विषयगत मोटर मार्ग पर विन्दूवार सूचनाये चाही गयी है।

विन्दू स0– 1. As per DSS analysis 2 ha area found in VDF and 1 ha in MDF proposed in civil and soyam land DFO may inspect the area and submit site inspection report and a certificate mentioning in 1000 trees per hectare can be accommodated or not.if not then the plantation scheme as guidelines dt.8.11.2017 may be submitted. पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 578/8सी दिनांक 1.04.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को पत्र लिखा गया है सूचना उपलब्ध होने के उपरान्त सूचना प्रेषित की जायेगी।

विन्दू स0 – 2. प्रस्तावित संमरेखन की की KML file में प्रस्तावित संमरेखन पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्मित दीनी मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है ग्राम दीनी पूर्व से ही पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्मित मार्ग से जुडा है, समरेखन के वॉयी ओर जो नैन फॉरेस्ट भूमि दिखाई दे रही है वह ग्राम दीनी की नाप भूमि है मल्लीदीनी,तल्लीदीनी गॉव को मोटर मार्ग से जोडा जा चुका है जिस कारण वहा से मार्ग को ले जाने में दीनी के ग्रामवासियो द्वारा आपत्ति लगायी गयी है।

बिन्दू स0–3. SOI topo sheet of proposed road CA scheme & justification is not authenticated by DFO के मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कर प्रेषित किये जा रहे है।

बिन्दू स0–4. के कम में ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक/अनापत्ति की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बिन्दूओं पर चाही गयी सूचना पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न प्रस्ताव–उक्तानुसार

11/6/21

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

पंत्राक– 876 /8सी दिनांक– 11 /6/2020

प्रतिलिपि–1 प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/6/21

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली

C:\Users\pc\Desktop\123.docx

Scanned with CamScanner